2-1-2025	वकील श्री रामलाल राव का साथी श्री बोरे ने कुल वाद में अधिवाद पत्र पेश किया है। कुल वाद का निस्तारण हो जाने से तामील पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं। तामील पत्र में इसी स्तर पर कार्यवाही रोक दी जाती है। पत्रावली रेकर्ड कमरा नंबर 15 में जमा हो आरक्षित किया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़